पत्र संख्याः–15/एम 1–107/2013–1412
शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना

प्रेषक,

प्रो (डा०) खालिद मिर्जा
निदेशक (उच्च शिक्षा)

सेवा में,

कुलसचिव,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

पटना, दिनांक 17/7/2015

विषयः– आर०पी०कॉलेज दतियाना विक्रम, पटना का संबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–G III A/710/14 दिनांक–23.12.2014 द्वारा आर०पी०कॉलेज दतियाना, विक्रम, पटना को स्नातक कला एवं वाणिज्य संकाय के कतिपय विषयों में पास एवं प्रतिष्ठा स्तर के संबंधन दीर्घीकरण हेतु प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में कहना है कि उक्त प्रस्ताव की समीक्षा की गयी समीक्षोपरांत स्थिति निम्नवत् हैः–

(i) राज्यपाल सचिवालय के ज्ञापांक–1098 दिनांक 19.04.86 के द्वारा निर्गत परिनियम के अनुच्छेद 7 (i) में अंकित प्रावधान के आलोक में अस्थायी संबंधन की कालावधि 4 वर्ष से अधिक की नहीं हो सकती है जबकि विभागीय पत्रांक–108 दिनांक–16.01.14 द्वारा विषयाधीन महाविद्यालय को कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में पास/प्रतिष्ठा स्तर ,में 2005–06 से 2009–10 तक नव संबंधन प्रदान किया गया है जो 4 वर्षों से अधिक अवधि के लिए है।

(ii) राज्यपाल सचिवालय के द्वारा निर्गत परिनियम की अनुच्छेद 7 (i) में अंकित प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा इस महाविद्यालय के संबंध में की गयी अनुशंसा नियमानुकुल नहीं है।

(iii) परिनियम में अंकित प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय सुरक्षित कोष में विश्वविद्यालय में जमा राशि मात्र 70,000/– रूपये है जो मानक से कम है परिनियम में सुरक्षा कोष में जमा की जाने वाली राशि से संबंधित प्रावधान के आलोक में इस महाविद्यालय के द्वारा शेष 4,80,000/–रू0 अथवा दो संकायों के लिए 3,30,000/–रू0 विश्वविद्यालय सुरक्षित कोष में जमा किये जाने की अनिवार्यता है।

2. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयाधीन महाविद्यालय को संबंधन प्रदान करने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा परिनियम में अंकित प्रावधानों के विरूद्ध लिये गये निर्णय को संशोधित करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय के निरीक्षणोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करते हुए विश्वविद्यालय सुरक्षा कोष में परिनियम में अंकित प्रावधानों के अधीन अवशेष राशि जमा कराने के बाद, संबंधन हेतु समंतव्य प्रस्ताव विभाग में प्राप्त होने पर स्थायी संबंधन संसूचित किये जाने के संबंध में अग्रत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

विश्वासभाज़न,
12-7-15
(खलिद मिर्जा)
निदेशक (उच्च शिक्षा)
राजेश

RAJESH